

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, जाका दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)

गुरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अंतर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 75/2022

निर्णय दिनांक :- 18.05.2022

यह मुकदमा आज वाले इतिहास कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वाली स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वाली अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बली-भाति प्रकृत होने से स्वीकार किया जाकर एक 11 एक ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एच ए की जमाबन्दी संख्या 2073 या 76 के खाता संख्या 33/31 में क्रम संख्या 2 पर अंकित एक अशंप्रीत कीर पत्नी गुरसाव सिंह के स्थान पर अशंप्रीत कीर पत्नी गुरसाहब सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बरस्तुर रहेगे। उपयुक्तानुसार राजस्व रकवाई में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.05.2022 को यह पूर्ण डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
राजस्थान


मुदतई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
एक अशंप्रीतकी	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
एक वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
एक इदारी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	01	00	योग	00	00

  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
राजस्थान  
दिनांक 18.05.2022

क्रमांक: गडर/ 2022/280

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर